उत्तरांचल शासन

मुख्यमंत्री

श्री नारायण दत्त तिवारी

का

वित्तीय वर्ष 2006–2007 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

विषय–सूची

विभाग का नाम	पृष्ठ संख्या
भारत निर्माण में उत्तराँचल निर्माण	1
आर्थिक परिदृश्य	3
वार्षिक योजना	5
राजकोषीय सेवाएं	26
वाणिज्य कर	26
आबकारी	27
परिवहन	28
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	29
मनोरंजन कर	29
संस्थागत वित्त	30
वित्तीय सुधार कार्यक्रम	31
अवस्थापना सुविधाओं का विकास	32
ऊर्जा	32
सड़क एवं सेतु	34
पेयजल	36
सिंचाई	38
सूचना प्रौद्योगिकी	39
औद्योगिक विकास	40
भूतत्व एवं खनिकर्म	45
नागरिक उड्डयन	45
मानव संसाधन विकास	46
विद्यालयी शिक्षा	46
उच्च शिक्षा	49
संस्कृत शिक्षा	50
प्राविधिक शिक्षा	50
खेल तथा युवा कल्याण	52
संस्कृति	52
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	53
आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा	57
आवास एवं नगर विकास	58
पर्यटन	59
समाज कल्याण	61
अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कल्याण	62
अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	64

विभाग का नाम	पृष्ठ संख्या
विकलाँग कल्याण	64
अल्पसंख्यक कल्याण	65
सैनिक कल्याण	66
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण	67
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	68
कृषि एवं जलागम प्रबन्धन	70
उद्यान	72
चाय विकास	73
रेशम विकास	74
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	75
पशुपालन एवं डेरी विकास	76
मत्स्य विकास	77
ग्राम्य विकास	78
पंचायती राज	80
विधायक निधि	80
सहकारिता	81
वन एवं पर्यावरण	81
नियोजन	82
कर्मचारी कल्याण	82
सामान्य प्रशासनिक सेवाएँ	84
न्याय प्रशासन	84
राजस्व प्रशासन एवं सामान्य प्रबंधन	85
आपदा प्रबन्धन	85
पुलिस	86
होमगार्ड्स	88
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	88
श्रम एवं सेवायोजन	89
सूचना एवं लोक सम्पर्क	90
वर्ष 2006–07 के बजट का वित्तीय विवरण	91
प्राप्तियाँ	91
व्यय	92
समेकित निधि का घाटा	92
लोक लेखा से समायोजन	93
अन्तिम शेष	93

मा0 अध्यक्ष महोदय,

मैं, आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2006–07 का बजट तथा एक माह के लिए लेखानुदान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस परम् सम्मानित सदन के समक्ष प्रदेश की प्रथम निर्वाचित सरकार का लगातार पाँचवा बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। केन्द्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार का दूसरा बजट इस वर्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार की प्राथमिकताएं एवं रणनीति स्पष्ट की गई है ताकि देश की आर्थिक प्रगति में गति आ सके। उत्तराँचल राज्य में भी इसी आधार पर तथा उत्तराँचल राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्थक कार्यवाही की गई है।

भारत निर्माण में उत्तराँचल निर्माण

गत वर्ष मैंने इस सम्मानित सदन को अवगत कराया था कि केन्द्र सरकार द्वारा ''भारत निर्माण'' के लिए वर्ष 2009 तक महत्वाकाँक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनके अन्तर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0), त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0), ग्रामीण सड़क कार्यक्रम,

ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं सम्मिलित हैं। इन योजनाओं तथा क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में रु0 18696 करोड़ का प्राविधान किया गया है जो गत वर्ष से लगभग 54% अधिक है। इन केन्द्रीय योजनाओं में हमने आय–व्ययक की मदों में अतिरिक्त व्यवस्था की है जिसका वर्णन आगे किया गया है।

भारत सरकार द्वारा आठ अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं, जिनमें सर्वशिक्षा अभियान, मध्यान्ह् भोजन योजना, राजीव गाँधी पेयजल मिशन, सम्पूर्ण सफाई अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय ग्रामीण नवीकरण मिशन हैं। भारत सरकार द्वारा आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए 2005–06 में कुल रु0 34927 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल आवंटन रु0 50015 करोड़ होगा जो रु0 15088 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि या 43.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करता है। हम भारत निर्माण में उत्तराँचल निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन आठ अग्रगामी कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक आवंटन

प्राप्त कर उत्तराँचल के निर्माण को और अधिक गति प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

आर्थिक परिदृश्य

राज्य की सकल आय एवं सकल घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वमान्य मेरुदण्ड है। उत्तरांचल राज्य के सृजन के पूर्व वर्ष 1994–95 से 1999–2000 तक की अवधि में उत्तरांचल में उत्तर प्रदेश का भाग रहते हुए विकास की औसत दर अपेक्षाकृत काफी कम (3.2%) तथा अस्थिर रही थी। राज्य सृजन के उपरान्त वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि में विकास की औसत दर अपेक्षाकृत बेहतर रही है। वर्ष 2000–01 में यह वृद्धि दर 10.7%, 2001–02 में 5.9%, 2002–03 में 10.2%, 2003–04 में 11.7% तथा 2004–05 में 11.69% अनुमानित है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरांचल राज्य के लिए स्थिर भावों पर वृद्धि दर का लक्ष्य 6.8% रखा गया था, राज्य में दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में विकास दर क्रमशः 10.2%, 11.7% तथा 11.69% अनुमानित की गयी है।

इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर क्रमशः 4.0%, 8.5% तथा 6.9% रही।

वर्ष 2004–05 में स्थिर (1993–94) भावों (कान्स्टैंट प्राइस) पर उत्तरांचल का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रु0 11057 करोड़ अनुमानित किया गया है जो कि वर्ष 2003–04 के रु0 9899 करोड़ के सापेक्ष 11.69% अधिक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 6.9 प्रतिशत रही। प्रचलित भावों (करेन्ट प्राइस) पर वर्ष 2003–04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद रु0 17369 करोड़ अनुमानित किया गया जो कि वर्ष 2004–05 में बढ़कर रु0 20205 करोड़ हो गया है। इस प्रकार प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान में 16.33% की वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–10 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर (93–94) भावों पर वृद्धि दर क्रमशः 11.24%, 12.82%, 12.71%, 14.66% तथा 14.86% का लक्ष्य है। इन्हीं वर्षों में प्रचलित भावों पर क्रमशः 15.39%, 18.46%, 18.28%, 20.09% तथा 20.46% की वृद्धि दर का लक्ष्य है। इस सम्मानित सदन के सदस्यों एवं प्रदेश की समस्त जनता के सहयोग के बिना यह विकास दर प्राप्त किया

जाना सम्भव नहीं हो सकता था और भविष्य में भी मैं आपसे सहयोग की कामना करता हूँ।

वार्षिक योजना

भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का आकार प्रचलित भावों पर रु0 9050 करोड़ निर्धारित किया गया था। मुझे इस सम्मानित सदन को यह अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि वार्षिक योजना 2006–07 का आकार केन्द्र सरकार द्वारा रु0 4000 करोड़ निर्धारित किया गया है। 2001–02 में योजना का आकार रु0 1050 करोड़ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा वर्ष 2002–03 से 2006–07 में रु0 11707.31 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया:–

(रु0 करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय
2002–03	1534.13
2003–04	1607.75
2004–05	1865.37
2005–06	2700.06
2006–07	4000.00
10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्वीकृत परिव्यय	11707.31

वार्षिक योजना के आकार में प्रतिवर्ष वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप ही यह उच्च विकास दर प्राप्त हुई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रचलित भावों पर अनुमानित धनराशि रु0 9050 करोड़ के सापेक्ष रु0 11707.31 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत हुआ जिसके लिए हम केन्द्रीय योजना आयोग के आभारी हैं। हमें 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कम से कम रु0 30 हजार करोड़ की योजना हेतु प्रयास करना होगा ताकि हमारा प्रदेश, देश में विकास दर के मामले में एक "अग्रगण्य प्रदेश" (फ्लैगशिप) के रूप में जाना जाए।

मैं वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगाः–

- बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। राजस्व स्रोतों के प्रभावी अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन से संसाधनों में बढ़ोत्तरी के प्रयास किए जायेंगे।

- गत वर्षों के वित्तीय अनुशासन से कई सार्थक परिणाम सामने आये हैं। मुझे यह सूचित करते हुये प्रसन्नता है कि वर्ष 2005–06 में राजस्व घाटा जो रु0 433.59 करोड़ अनुमानित था, वर्ष 2006–07 में घटकर रुपया 155.71

करोड़ रहने का अनुमान है और मुझे विश्वास है कि आगामी वर्ष 2007–08 में और सुधार होगा।

- वर्ष 2006–07 के अनुमानों के अनुसार आयोजनागत पक्ष में कुल रु0 5024.73 करोड़ का प्राविधान है जो गत वर्ष के मूल आय–व्ययक अनुमानों की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। योजनागत परिव्यय के अतिरिक्त कुछ अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाएं समाहित की गई हैं, ताकि प्रदेश के विकास कार्यों को अधिक गति मिले।

- मुझे यह बताते हुये हर्ष हो रहा है कि राज्य के कर राजस्व की प्राप्तियों में भी प्रदेश ने विशेष सफलता प्राप्त की है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में कर राजस्व का अनुमान रु0 2579.64 करोड़ था जिसके सापेक्ष 2006–07 में अनुमानित प्राप्ति रु0 3136.70 करोड़ है जो गत वर्ष की तुलना में 21.59 प्रतिशत अधिक है।

- राज्य में बेरोजगारों की स्थिति में सुधार लाने हेतु केन्द्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को राज्य के तीन जनपदों में लागू की गई है और प्रयास किया जा रहा है कि अगले वर्ष केन्द्र सरकार कम से कम छः जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध करा सके।

- राज्य सरकार द्वारा भी बेरोजगारी कम करने के लिए विशेष पहल करते हुए समस्त जनपदों में **उत्तराँचल सार्वभौमिक रोजगार योजना** का शुभारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु रु0 32.50 करोड़ का प्राविधान है।

- केन्द्र सरकार ने मार्च, 2006 में 1 जनवरी, 2006 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत की घोषणा की है अतः उसी दर तथा उसी तिथि से राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को यह सुविधा उपलब्ध कराएगी।

राज्य कर्मचारियों द्वारा आवास निर्माण हेतु आसान ब्याज दरों पर ऋण तथा बीमा से आच्छादित बैंक ऋण एवं अग्रिम दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। भविष्य निधि नियमावली का सरलीकरण किया गया है तथा चिकित्सा परिचर्या हेतु बीमा कम्पनी के माध्यम से सरकारी एवं ख्याति प्राप्त निजी क्षेत्र के अस्पतालों में उपचार कराने हेतु सरकारी सेवकों एवं पेंशनभोगियों को स्मार्ट कार्ड निर्गत किए जाने की कार्ययोजना बनाई गई है।

- मुझे इस सम्मानित सदन को सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने यह निश्चय किया है कि वर्ष 2006–07 में प्रदेश के सभी वर्गों के 65 वर्ष से अधिक पात्र वृद्ध को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन रु0 200 प्रति माह केन्द्राँश तथा रु0 200 राज्याँश के अतिरिक्त 60 से 65 वर्ष के वृद्ध, विकलाँग व निराश्रित विधवाओं की पेंशन धनराशि रु0 250 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 400 प्रतिमाह की जाएगी, जो कि वर्ष 2004–05 के सापेक्ष्य 60 प्रतिशत वृद्धि परिलक्षित करती है।

- "स्पेशल कम्पोनेंट प्लान" एवं "ट्राईबल सब–प्लान" के अन्तर्गत 2006–07 में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये रु0 795.32 करोड़ तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए रु0 148.87 करोड़ का प्राविधान किया गया है। "स्पेशल कम्पोनेंट प्लान" में गत वर्ष की तुलना में लगभग 133 प्रतिशत धनराशि की बढ़ोत्तरी की गई है।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक (अक्लियत) वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्ति चालू वर्ष में दोगुनी की गई है।

कक्षा 1 से 5 तक मासिक छात्रवृत्ति रु0 25 से बढ़ाकर रु0 50 की गई है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 एवं 9 से 10 की दरें पुनरीक्षित की गई हैं। दशमोत्तर (आवासीय) रु0 425 से रु0 740, दशमोत्तर अनावासीय रु0 190 से रु0 330, अस्वच्छ पेशे में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 को रु0 200 से बढ़ाकर रु0 300 एवं कक्षा 6 से 10 के लिए रु0 250 से बढ़ाकर रु0 375 प्रतिमाह की गई है। छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना से लगभग 8 लाख विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा।

- मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एवं मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने हेतु "प्रोजेक्ट तालीम" के माध्यम से मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा दिए जाने की कार्यवाही गतिमान है। अल्पसंख्यक समुदाय (अक्लियत) के युवक एवं युवतियों को रोजगारपरक शिक्षा दिलाने के उद्देष्य से "प्रोजेक्ट बुलन्द" प्रारम्भ किया जा रहा है तथा इस समुदाय में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु रु0 50 लाख

का शुरुआती प्राविधान किया जा रहा है। मौलाना आजाद फाउंडेशन से भी धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

- "हिमाद्रि" ब्रॉण्ड नाम से प्रदेश में निर्मित हस्त शिल्प एवं कुटीर उद्योगों में उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु यात्रा मार्ग तथा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, पिरान कलियर शरीफ, हेमकुण्ड साहिब, नानकमत्ता एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर विशेष बिक्री केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। "हिमाद्रि" ब्रॉण्ड नाम से राज्य की विशिष्ट पहचान बनाने हेतु नई दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों में भी विक्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

- प्रदेश में पन्तनगर, हरिद्वार, सैलाकुई एवं कोटद्वार के औद्योगिक आस्थानों के अतिरिक्त राज्य में सार्वजनिक निजी सहभागिता में 18 औद्योगिक आस्थान विकसित किए गए हैं एवं सितारगंज में 'एल्डिको' के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिनमें अब तक लगभग 20 हजार करोड़ का निवेश वचनबद्ध हुआ है जिससे लगभग 1 लाख 50 हजार व्यक्तियों को

प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है। अब तक 262 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है एवं इससे 14 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रमुख निवेशकों में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, ऑल्पस इण्डस्ट्रीज, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, फोनिक्स लैम्प्स्, ब्रिटॉनियाँ, डॉबर, बोल्टाज, हल्दी राम आदि हैं। वर्षों से बन्द पड़ी काशीपुर एवं जसपुर कताई मिलों को निजी सहभागिता से संचालित किया गया है।

- राज्य में विभिन्न वर्गों हेतु सामाजिक सुरक्षा/चिकित्सा बीमा की सुविधा के लिए अनेक योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 3 लाख 65 हजार परिवारों में दुर्घटना/विकलाँगता हेतु बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से कराया गया है, वर्ष 2006–07 के बजट में प्रीमियम के भुगतान हेतु रु0 3.81 करोड़ की व्यवस्था है। राज्य के सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा रही है। राज्य के 9.5 लाख लघु एवं सीमान्त

कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू की गई है। इसी प्रकार फूलों की घाटी, हेमकुण्ड साहिब के पर्यटकों, श्री केदारनाथ क्षेत्र के खच्चर मालिकों एवं श्रमिकों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्र सुरक्षा बीमा योजना लागू करने के साथ–साथ आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए भी विशेष बीमा योजना लागू की गई है। बुनकरों, छीपियों तथा इस प्रकार के शिल्पकारों हेतु अलग से बीमा योजना लागू है। हमारी सरकार एक विस्तृत कार्य योजना बना रही है ताकि सभी नागरिकों को बीमा सुरक्षा सुविधा उपलब्ध हो सके। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों द्वारा देय सम्पूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

- विभिन्न बीमा योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में ''व्याधि निधि'' की स्थापना की गई है जिससे निर्धन परिवारों को गम्भीर बीमारियों के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता की जाती है।

- राज्य के पंजीकृत व्यापारियों के लिए रु0 3 लाख तक दुर्घटना बीमा के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

- स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रत्येक जनपद को रु0 1 करोड़ के स्थान पर राज्य का अंशदान रु0 2 करोड़ यानि 13 जनपदों हेतु दोगुना कर कुल रु0 26 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

- राज्य के विकास में महिलाओं की विशेष भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2006–07 को "महिला सशक्तिकरण वर्ष" घोषित किया गया है।

- राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाली निर्धन परिवार की बालिकाओं को कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर रु0 3000 का विशेष अनुदान दिया जाएगा।

- केवल महिलाओं के नाम से भू–खण्ड/ भूमि /दुकान एवं आवास के क्रय करने पर स्टॉम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी।

- हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है तथा प्रदेश में "जैण्डर बजटिंग" की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। इसके अन्तर्गत सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि विभागीय परिव्यय की धनराशि का लगभग 30 प्रतिशत महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित योजनाओं के लिए लक्ष्यित किया जाए।

- कार्यशील महिला कर्मियों की सुविधा व सुरक्षा हेतु देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, हल्द्वानी (नैनीताल) में एक–एक वर्किंग विमैन हॉस्टल की स्थापना की जाएगी।

- खेलों को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न खेलों के परिषदों का गठन किया जा रहा है तथा उन्हें सहायता दी जा रही है ताकि हमारे राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में भाग ले कर पुरस्कार प्राप्त कर सकें, जिससे राष्ट्र एवं राज्य का सम्मान बढ़ सके। इसी को दृष्टि में रखते हुए देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है तथा अन्य शहरों में उपलब्ध स्टेडियम को और विकसित किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 16 मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं।

- राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत सभी पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय देने की व्यवस्था की जाएगी। इस क्रम में ग्राम पंचायत प्रधान को रु0 600 प्रतिमाह, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को रु0 3000 प्रतिमाह, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेने पर रु0 200 प्रति बैठक प्रतिमाह, जिला पंचायत के सदस्यों को जिला पंचायत में बैठक लेने हेतु रु0 300 प्रति बैठक प्रति सदस्य तथा जिला पंचायत अध्यक्ष को रु0 4000 प्रतिमाह निश्चित यात्रा भत्ता/मानदेय दिया जाएगा।

- अनुसूचित जाति के व्यक्ति अक्सर ग्रामों अथवा शहरों के विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रित होते हैं, जहाँ अवस्थापना सुविधाओं का अभाव रहता है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित ग्रामों तथा मजरों के लिए "विलेज एक्शन प्लान" बनाकर अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस कार्य हेतु रु0 50.35 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

- आवास, नगर विकास विभाग की योजनाओं हेतु 2006–07 में दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर लगभग रु0 500 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी, ताकि नगरीय क्षेत्रों में मानक आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाए। विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में प्रभावी कार्य योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है ताकि एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत बजट उपलब्ध कराकर कार्य पूरा किया जा सके।

- वित्तीय वर्ष 2006–07 में पेयजल की अतिरिक्त सुविधा हेतु 2500 हैण्ड पम्प की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने भी वर्ष 2006–07 के अपने बजट में उत्तरांचल को चाय निधि से सहायता तथा एक होटल प्रबन्ध संस्थान की स्थापना के लिये चिन्हित किया है ।

- जड़ी बूटियों के संवर्द्धन के लिये सहकारिता विभाग, वन विभाग व उद्यान विभाग के अनुदानों में कुल लगभग रु0 13.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है ।

- सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2005–06 में स्वीकृत धनराशि रु0 168 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2006–07 में रु0 246 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य है। वर्ष 2006–07 में राज्यांश के लिए रु0 40 करोड़ का प्राविधान है।

- उर्दू भाषा किसी समुदाय की भाषा नहीं, अपितु विश्वव्यापी भाषा है अतः इस भाषा के विकास हेतु उर्दू अध्यापकों के 263 पद सृजित किए गए हैं। भारत सरकार से प्रथम बार रु0 1.26 करोड़ स्वीकृत हुआ है।

- मिड–डे–मील के लिए वर्ष 2006–07 में रु0 43.22 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

- हाई स्कूल व माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाओं के लिए रु0 15 करोड़ से बढ़ाकर रु0 34 करोड़ की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 127 प्रतिशत अधिक है।

- बेसिक स्कूलों में भवनों के अनुरक्षण हेतु रु0 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- पब्लिक प्राइवेट पार्टिशिपेशन को बढ़ावा देने के लिये प्रथम बार ज्वाइन्ट वेन्चर फंड हेतु रु0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भूमि अर्जन व प्रतिकर हेतु राज्यॉंश रु0 40 करोड़ से 50 प्रतिशत बढ़ाकर रु0 60 करोड़ किया गया है।

- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अगले वर्ष लगभग रु0 400 करोड़ की कार्य योजना अनुमानित है।

- सिंचाई विभाग के बजट प्राविधान में लगभग 32 प्रतिशत वृद्धि कर रु0 544 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

- बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुण्ड साहिब, नानकमत्ता, पिरान कलियर शरीफ तथा पूर्णागिरि आदि धार्मिक स्थलों के विकास हेतु समग्र रूप से कार्यवाही की जाएगी।

- चार धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश एवं अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बजट में समुचित व्यवस्था की गई है।

- राज्य के नवयुवकों को तकनीकी ज्ञान पर आधारित रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें, को दृष्टि में रखते हुए

15 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार के संस्थानों में आधुनिक एवं गुणवत्ता युक्त उपकरणों की उपलब्धता हेतु अतिरिक्त बजट प्राविधान किया गया है ताकि प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षा में गुणवत्ता आ सके और वे स्पर्द्धा के आधार पर रोजगार प्राप्त कर सकें।

- सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि, आवास निर्माण, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, कम्प्यूटर क्रय हेतु पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इफ्को के सौजन्य से 2006–07 में सूचना केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

- राज्य के बैंकों में जमा होने वाली धनराशि राज्य के विकास में अधिक से अधिक उपयोग हो सके, की दिशा में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं कि राज्य स्थापना के समय ऋण जमा अनुपात 24.26 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर, 2005 में 43.89 प्रतिशत हो गया है तथा प्रयास किया जा रहा है कि यह अनुपात आगामी वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए।

- वर्ष 2004 से 2007 तक की अवधि में कृषि ऋण को दोगुना करने का लक्ष्य है, (रु0 555 करोड़ से रु0 1110 करोड़) जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2005 तक रु0 718.36 करोड़ कृषि ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया जा चुका है।

- कृषि ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क छूट की सीमा रु0 1 लाख से बढ़ाकर रु0 3 लाख की गई है।

- वर्ष 2006–07 में 281615 बी0पी0एल0 परिवारों को कुटीर ज्योति तथा अन्य योजनाओं के अधीन निःशुल्क विद्युत संयोजन दिया जाएगा।

- प्रख्यात शंकर नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से देहरादून में नेत्र चिकित्सालय तथा अन्य कतिपय स्थानों पर वेनु चिकित्सालय के सहयोग से नेत्र चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे।

- राज्य में चिकित्सा शिक्षा के प्रसार तथा अति विशिष्ट चिकित्सा सुविधा के आधार पर श्रीनगर एवं रुद्रपुर में मेडिकल कालेज हेतु व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एम्स) की स्थापना हेतु अपने बजट में व्यवस्था की गई

है एवं राज्य सरकार द्वारा प्रभावी समन्वय कर इसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यशील बनाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य में गुरु रामराय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हैल्थ एण्ड साईंस की स्थापना में भी राज्य सरकार द्वारा सहयोग दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा स्वामी राम हिमालयन इंस्टीट्यूट–जौली ग्राँट को कैंसर उपचार की सुविधा स्थापना हेतु रु0 10 करोड़ एवं हल्द्वानी वन ट्रस्ट अस्पताल को विशिष्ट उपचारों हेतु रु0 10 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

- वन चिकित्सालय, हल्द्वानी में करुणा निधि की स्थापना की जाएगी, ताकि वहाँ पर असहाय एवं निर्धन व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

- राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्तरी को दृष्टि में रखते हुए दून विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, हिमनभ विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, आई0सी0एफ0ए0आई0 विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ इन विश्वविद्यालयों में उच्च मानकों पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

- कुमायूँ विश्वविद्यालय के भीमताल एवं अल्मोड़ा परिसर तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी एवं नई टिहरी परिसर में कुल चार डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना की जाएगी।

- हथकरघा–बुनकर, छीपियों आदि के कल्याण हेतु बजट में रु0 50 लाख का प्राविधान किया गया है जिसे आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में बढ़ाया जाएगा।

- राज्य में बायो–टेक्नॉलोजी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उच्चस्तरीय विकास एवं राज्य में ज्ञान केन्द्र की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए पन्तनगर में बायो–टेक्नॉलोजी पार्क तथा पन्तनगर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में पटवाडाँगर (नैनीताल) में व्यवस्था की गई है तथा देहरादून में आई0टी0 पार्क के विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इस प्रकार की अवस्थापना सुविधा से राज्य तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ ही राज्य के उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को रोजगार के अवसर में भी बढ़ोत्तरी होगी।

- 2004–05 पेराई सत्र में पेरे गए गन्ने का सम्पूर्ण रु0 410.54 करोड़, पेराई सत्र 2005–06 के प्रारम्भ में

भुगतान कर दिया गया है तथा 2005–06 में गन्ना मूल्य में रु0 8 प्रति कुन्तल बढ़ोत्तरी की गई। पन्तनगर विश्वविद्यालय तथा गन्ना किसान संस्थान, काशीपुर के तत्वावधान में गन्ना विकास हेतु टिश्यू कल्चर तकनीकी इकाई की स्थापना पर कार्यवाही की जा रही है।

- राज्य के प्रशासन एवं सामान्य प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने हेतु उक्त आयोग द्वारा समुचित संस्तुतियाँ की जा सकें।

- राज्य में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए सूचना के अधिकार आयोग का गठन किया गया है ।

- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार द्वारा "सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम" तथा योजना पर बल देने के फलस्वरूप उत्तराँचल के कई ग्रामों को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत किया गया।

- राज्य में सूखे से निपटने के लिए राजस्व के मुख्य देयों को स्थगित करना, वसूली के लिए कोई उत्पीड़क

कार्यवाही न करना, क्षतिग्रस्त हैण्ड–पम्पों को ठीक कराना तथा नए हैण्ड–पम्प लगवाने के साथ–साथ टैंकरों/ खच्चरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समुचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा भारत सरकार से समुचित सहायता हेतु अध्ययन दल भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।

- राज्य में वित्त विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में राजकोषीय प्रबन्धन, शोध एवं विश्लेषण संगठन की स्थापना की जाएगी। यह संगठन राजकोषीय प्रबन्धन में सुधार, वित्तीय प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, संसाधनों का बेहतर अनुश्रवण, कोषागार विकास एवं नेटवर्किंग, ऋण प्रबन्धन, क्रय प्रक्रिया विकास, पेंशन नियोजन आदि के विश्लेषण का कार्य करेगा।

- उत्तराँचल पूर्व सैनिक उद्यम लिमिटेड (उपसुल) द्वारा महत्वपूर्ण योगदान देते हुए लगभग 3000 पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

- राज्य में एक और इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की जायेगी।

राजकोषीय सेवाएं

राज्य की राजकोषीय सेवाओं में वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, आबकारी, परिवहन, तथा मनोरंजन कर प्रमुख हैं। बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है। करदाताओं के सहयोग एवं वर्तमान नियमों के बेहतर प्रवर्तन से अधिकाधिक प्राप्तियों के लक्ष्य रखे गए हैं।

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर का राज्य की राजस्व प्राप्तियों में मुख्य योगदान है। राज्य गठन के उपरान्त व्यापार कर में उत्साहवर्धक प्रगति परिलक्षित हुई है। वर्ष 2001–02 में रु0 486.20 करोड़, वर्ष 2002–03 में रु0 551.06 करोड़, वर्ष 2003–04 में रु0 661.96 करोड़ तथा वर्ष 2004–05 में रु0 793.50 करोड़ की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2005–06 के लिए लक्ष्य रु0 890 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2006–07 में लगभग रु0 1158.83 करोड़ का संग्रह अनुमानित है। प्रदेश में 1 अक्टूबर, 2005 से मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू कर दी गई है।

छोटे करदाताओं को रु0 50 लाख की सीमा तक समाधान योजना की व्यवस्था के अन्तर्गत हिसाब–किताब रखने

की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। नई कर प्रणाली में कर निर्धारण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं सरलीकृत कर दी गई है।

करदाताओं के हित में उनकी दुर्घटना बीमा योजना पर कार्यवाही गतिमान है।

वाणिज्य कर विभाग की कार्य प्रणाली को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विभाग के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में विकासनगर, मसूरी एवं टनकपुर में तीन नए मण्डल कार्यालय खोले गए हैं तथा निकट भविष्य में गोपेश्वर, बागेश्वर, किच्छा एवं उत्तरकाशी में भी मण्डल कार्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है।

आबकारी

प्रदेश की मौलिक आबकारी नीति का उद्देश्य मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध एवं प्रभावी प्रवर्तन के साथ मद्यनिषेध नीति को प्रमुखता देते हुए मादक वस्तुओं के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए वैधानिक बिक्री से

राज्य के विकास के लिए समुचित राजस्व प्राप्त करके संसाधन जुटाना है।

आबकारी विभाग हेतु वर्ष 2006–07 के लिए रु0 400 करोड़ आबकारी राजस्व के रूप में अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

परिवहन

वर्तमान में परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में कम्प्यूटर के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में विभाग द्वारा पूर्ण कम्प्यूटरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। मार्ग दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। नशे की हालत में वाहनों का संचालन रोकने के उद्देश्य से प्रवर्तन दलों को ब्रेथ एनेलाईजर उपलब्ध कराए गए हैं।

केन्द्र सरकार की सहायता से देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है जिसके लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है तथा वर्ष 2006–07 में उत्तराँचल परिवहन निगम के लिए रु0 20 करोड़ अंश पूँजी एवं रु0 9.60 करोड़ संचालन व्यय हेतु प्राविधान है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क

जनता को पंजीकरण कार्य में सुविधा के लिए विभागीय भवनों का निर्माण व कम्प्यूटरीकरण कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष हरिद्वार, रुड़की, किच्छा, सितारगंज तथा हल्द्वानी में नए भवनों का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। देहरादून की भाँति इस वर्ष हरिद्वार, रुड़की तथा हल्द्वानी में भी कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही गतिमान है तथा भविष्य में इसे और विस्तारित किया जाएगा। वर्ष 2006–07 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से रु0 328.27 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है।

मनोरंजन कर

छविगृहों में दर्शकों की संख्या घटने तथा अनेक छवि गृहों के बन्द होने से छविगृहों से प्राप्त राजस्व में कमी आई है। जुलाई, 2002 से मनोरंजन कर की दरें 100 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत की गई हैं तथा छविगृहों की दशा सुधारने के लिए रख–रखाव हेतु प्रति टिकट अनुरक्षण शुल्क जनवरी, 2004 में रु0 1.50 से बढ़ाकर रु0 3 कर दिया गया है। मल्टीप्लेक्स छविगृहों की स्थापना किए जाने हेतु 5 वर्ष तक शत–प्रतिशत मनोरंजन कर में छूट दिए जाने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक अनुमान रु0 5.50 करोड़ के सापेक्ष

वर्ष 2006–07 में मनोरंजन कर से रु0 5.88 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है।

संस्थागत वित्त

राज्य में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। राज्य स्थापना के समय जो ऋण जमा अनुपात मात्र 24.26% था तथा दिसम्बर, 2005 में बढ़कर 43.89% हो गया है। प्रयास किया जा रहा है कि यह अनुपात अगले वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक हो सके।

केन्द्र सरकार के द्वारा मार्च, 2007 तक कृषि ऋण को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए आधार वर्ष मार्च, 2004 निर्धारित है जबकि प्रदेश में कुल कृषि ऋण रु0 555 करोड़ था और इसे मार्च, 2007 तक रु0 1110 करोड़ किया जाना है। दिसम्बर, 2005 तक रु0 718.36 करोड़ ऋण वितरित किया जा चुका है तथा रु0 1110 करोड़ के लक्ष्य को मार्च, 2007 तक प्राप्त किए जाने का प्रयास बैंकों द्वारा किया जा रहा है। कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा रु0 1 लाख बढ़ाकर रु0 3 लाख की गयी है।

राष्ट्रीय बचत योजना में जमा धनराशि प्रदेश के वार्षिक योजना के वित्त पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2006–07 में राष्ट्रीय बचत योजना के वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य रु0 1100 करोड़ के विपरीत रु0 1170 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय सुधार कार्यक्रम

12वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में सरकार द्वारा उत्तराँचल राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पारित किया गया है। अधिनियम की धारा 3(1) के प्राविधान के अनुसार बजट साहित्य में मध्यकालीन वित्तीय सुधार कार्यक्रम 2006 प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें राज्य के आर्थिक परिवेश एवं राजकोषीय स्थिति के विस्तृत विवरण दिए गए हैं।

बाह्य सहायतित राजकोषीय प्रबन्धन एवं सुधार परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी क्षमता का विकास किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत परियोजना मूल्याँकन एवं नियोजन, वित्तीय प्रक्रियाओं का सरलीकरण, वित्तीय लेन–देनों का कम्प्यूरीकरण, लेखा–परीक्षा कार्यों में गुणवत्ता लाना इत्यादि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। समस्त

कोषागारों को मुख्यालय से नेटवर्किंग द्वारा जोड़ा जाना भी प्रस्तावित है।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मान्यवर,

सरकार द्वारा प्रारम्भ से ही अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विशेष प्राथमिकता दिए जाने के कारण ही प्रदेश के विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, परन्तु अभी भी अवस्थापना सुविधाओं में बहुत कुछ करना शेष है और हमें इसके सुदृढ़ीकरण के लिए और अधिक प्रयास जारी रखने हैं। अतः ऊर्जा, सड़क एवं सेतु, जलापूर्ति, सिंचाई, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, कृषि और औद्यानिकी, शिक्षा तथा चिकित्सा को आय–व्ययक में विशेष प्राथमिकता दी गई है।

ऊर्जा

राज्य की बढ़ती हुई विद्युत मांग की आपूर्ति हेतु राज्य की अपार जल विद्युत सम्भावना के शीघ्र दोहन के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।

सरकार ने वर्ष 2002–03 में यह लक्ष्य रखा था कि 5 वर्ष में 3000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं में कार्य

प्रारम्भ किया जायेगा। वर्तमान में लगभग 12578 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ आबंटित की जा चुकी हैं जिनका विकास/ निर्माण विभिन्न चरणों में है। वर्ष 2006 में टिहरी–प्रथम परियोजना (1000 मेगावाट), मनेरी भाली–द्वितीय परियोजना (304 मेगावाट) व विष्णु प्रयाग परियोजना (400 मेगावाट) से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होना सम्भावित है जबकि धौलीगंगा परियोजना (280 मेगावाट) से विद्युत उत्पादन वर्ष 2005 में प्रारम्भ हो गया है।

राज्य सरकार वर्ष 2007 तक प्रत्येक गाँव के विद्युतीकरण हेतु कृत संकल्प है जबकि प्रत्येक परिवार हेतु विद्युत पहुँच वर्ष 2009 तक किया जाना प्रस्तावित है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु अब भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से 10 प्रतिशत ऋण द्वारा योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए रु0 658.79 करोड़ की योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रस्तुत की जा चुकी है जिसके सापेक्ष चार जनपदों की रु0 220.59 करोड़ लागत की योजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने सभी जनपदों में क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया है ताकि धनाबंटन में विलम्ब के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण

कार्य में विलम्ब न हो। इस योजना के अन्तर्गत 787 नये गाँवों, 682 विद्युत आपूर्ति बाधित गाँवों व 2039 तोकों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है जबकि 281615 बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत सन्नियोजन निःशुल्क किया जाना प्रस्तावित है।

53 दूरस्थ गाँवों में ग्रिड से विद्युतीकरण की सम्भावना फिलहाल न होने के कारण 9 माइक्रोहाईडिल परियोजनाओं को निर्माण से संचालन तक नई पहल करते हुए स्थानीय ऊर्जा समितियों के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु आबंटित किया गया है। 227 गाँव जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार एक ही परिवार निवास करते हैं वहाँ पर भी प्रकाश की समुचित व्यवस्था बनाई जाए, के आधार पर ऐसे गाँवों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

सडक एवं सेतु

सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य के शहरों एवं कस्बों में सड़कों के पुनर्निमाण और विस्तारीकरण कार्यों के साथ–साथ ग्रामीण अंचलों को मार्ग एवं सेतुओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक अनुमानों में चालू निर्माण कार्यों के लिए रु0 362.00 करोड़ एवं नये कार्यों हेतु रु0 8.00 करोड़ का प्राविधान है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान के चालू निर्माण कार्य हेतु रु0 72.00 करोड़ तथा नये निर्माण कार्यों के लिए रु0 3.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार उपकरण, संयन्त्र (डोजर आदि) क्रय, बाढ़ भू–स्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनः निर्माण, क्रोनिक स्लिप जोन के उपचार, विभागीय भवनों एवं पूल्ड आवासों के निर्माण हेतु रु0 10.66 करोड़ तथा मार्गों की राइडिंग क्वालिटी सुधार, गुणवत्ता परीक्षण आदि कार्य के लिए रु0 2.70 करोड़, ए0डी0बी0 से स्वीकृत कार्यों, भारत निर्माण योजना तथा 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत मार्गों एवं भवनों के सुधारीकरण हेतु रु0 101.00 करोड का प्राविधान रखते हुए इस वित्तीय वर्ष में कुल रु0 750.89 करोड़ का प्राविधान किया है जो गत वर्ष के प्राविधान रु0 564.18 करोड़ से रु0 186.71 करोड़ अधिक है।

केन्द्रीय योजना के कार्यों हेतु रु0 25 करोड़ का प्राविधान है, जिससे 150 किमी0 मार्गों का पुनःनिर्माण व सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से ऋण प्राप्त किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर अध्ययन कार्य सम्पन्न कर योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी वित्तीय वर्ष में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण स्वीकृत कराए जाने का प्रयास किया जाएगा।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हम प्रयासरत हैं तथा घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए संसाधन प्राप्त करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद टिहरी, देहरादून व नैनीताल में विभागीय प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है। योजनाओं के मूल्याँकन एवं प्रभावी समीक्षा हेतु विभाग का कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रगति पर है।

पेयजल

पेयजल क्षेत्र की सेवाओं में सुधार हेतु सरकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ पर्यावरण स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

राज्य में पेयजल सैक्टर में बृहद विनिवेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक की सहायता से लगभग रु0 450 करोड़ की योजना के वित्त पोषण हेतु वार्ता अन्तिम चरण में है। इस कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्रामीण उपभोक्ता जल एवं स्वच्छता समितियों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनी रह सकेगी।

शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए रु0 60.92 करोड़ का तथा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में रु0 10.08 करोड़ का प्राविधान है। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 125.03 करोड़ का तथा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में रु0 23.40 करोड़ का प्राविधान है जिसमें त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत रु0 22.00 करोड़, ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत रु0 2 करोड़ तथा जिला योजना के अन्तर्गत रु0 68.60 करोड़ का प्राविधान है। जनजाति उप योजना में रु0 4 करोड़ ग्रामीण जलापूर्ति हेतु प्राविधानित है।

राज्य में हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन के लिए जिला योजना के अर्न्तगत रु0 15 करोड़ का प्राविधान है।

सिंचाई

सिंचाई सुविधा की सघनता बढ़ाने हेतु भारत सरकार के ''न्यूनतम साझा कार्यक्रम'' एवं ''भारत निर्माण परियोजना'' को दृष्टि में रखते हुए सरकार, राज्य के अन्तर्गत सिंचाई संसाधनों में वृद्धि हेतु कृत संकल्प है।

राज्य के अधिकांश जनपदों के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी गूलों, हौज और हाइड्रम आदि के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त के अतिरिक्त आर्टीजन कूपों एवं बोरिंग पम्प सैट के माध्यम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि करके अतिरिक्त असिंचित क्षेत्रों को भी आच्छादित किये जाने को पूर्ववत् प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए रु0 310.43 करोड़, निर्माणाधीन नहरों के लिए रु0 45.90 करोड़, लघु डाल नहरों के पुनरोद्धार के लिए रु0 13.94 करोड़ तथा राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिए रु0 87.65 करोड़ की व्यवस्था है। लघु सिंचाई तथा मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत त्वरित सिंचाई लाभ योजना में क्रमशः रु0 75 करोड़ तथा रु0 18.66 करोड़ का प्राविधान है। हाईड्रम परियोजनाओं के लिए रु0 5.90 करोड़ का

प्राविधान है। 'भारत निर्माण' के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं हेतु रु0 87.80 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग (स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क) योजनान्तर्गत विकास खण्डस्तर तक नेटवर्क स्थापित किए जाने और इसके माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का राज्यव्यापी क्रियान्वयन करने की योजना हेतु रु0 10 करोड़ का प्राविधान है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग जैसे काल सेण्टर, बी0पी0ओ0 को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन हेतु बैंण्डविड्थ कनेक्टीविटी आदि पर होने वाले व्यय हेतु रु0 3 करोड़ का प्राविधान है।

नेशनल ई–गवर्नेंस योजनान्तर्गत क्षमता विकास केन्द्र के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए रु0 35 करोड का प्राविधान है।

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण, सहवर्ती सामग्री एवं इस हेतु प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक सेवाओं पर होने वाले व्यय के लिए

रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। ई–गवर्नेंस परियोजनाओं हेतु स्थापित किए जाने वाले राज्य स्तर पर डाटा सेण्टर के निर्माण कार्य हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

ई–गवर्नेंस परियोजना हेतु जिलास्तरीय डाटा सेण्टर केन्द्र स्थापित करने हेतु रु0 5 करोड़ की व्यवस्था है। राज्य ई–गवर्नेंस परियोजनाओं एवं विभागीय कम्प्यूटरीकरण परियोजनाओं के सफल संचालन हेतु राज्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपेक्षित व्यय रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

केन्द्र सहायतित नेशनल ई–गवर्नेंस योजना हेतु रु0 40 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

उत्तराँचल ई–गवर्नेंस इनिसिएटिव्स के क्रियान्वयन पर व्यय के लिए रु0 35 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है। विश्व बैंक पोषित आर्थिक सुधार परियोजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही "उत्तराँचल ई–गवर्नेंस इनिसिएटिव्स" परियोजना हेतु रु0 10.75 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है।

औद्योगिक विकास

भारत सरकार के औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज तथा प्रदेश की औद्योगिक नीति, 2003 के तहत औद्योगिक क्षेत्र में पूँजी

निवेश हेतु यह राज्य निवेशकों द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

राज्य में अब तक समुचित पूँजी निवेश की 260 से अधिक नई इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। इन इकाईयों में रु0 528 करोड़ के पूँजी विनियोजन के साथ 14172 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। अन्य औद्योगिक इकाईयाँ स्थापना के विभिन्न चरणों में है तथा वर्ष 2006–07 के अंत तक सभी इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावना है। प्रस्तावित 2033 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना होने पर लगभग 150000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसमें लगभग रु0 20.00 हजार करोड़ निवेश का अनुमान है।

राज्य में लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु सभी अवस्थापना सुविधाओं से युक्त एकीकृत अवसंरचनात्मक केन्द्रों (आई0आई0डी0सी0) की स्थापना देहरादून, पंतनगर तथा हरिद्वार में की जा रही है। इन केन्द्रों के विकास हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुसार कुल रु0 4 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उपरोक्त केन्द्रों की स्थापना के साथ–साथ राज्य में अन्य स्थानों पर नए केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रयास किए जाएंगे।

राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में त्वरित विकास हेतु प्रयत्नशील है। सिड्कुल द्वारा देहरादून में सहस्त्रधारा रोड पर 60 एकड़ भूमि में आई0टी0 पार्क विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में आई0टी0 पार्क हेतु रु0 40 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। आगामी वर्ष में इनके विकास कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

राज्य में स्वरोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री रोजगार योजना में राज्य के लक्ष्यों को पुनः 7000 से बढ़ाकर 8000 कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के विगत वर्षों के सफल लाभार्थियों को अपने उद्यम के विस्तार अथवा नए उद्योग की स्थापना हेतु समुचित वित्त पोषण हेतु राज्य में "उत्तराँचल प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस–2005 (पी0एम0आर0वाई0 प्लस–2005) नई योजना" प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत बैंक गारण्टी शुल्क के रूप में बैंक को देय 2.5 प्रतिशत, अधिकतम रु0 50000 तक की गारण्टी फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक उद्यमियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

पर्वतीय एवं दूरस्थ स्थानों पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शासन द्वारा विशेष राज्य पूँजी उपादान योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को 10 प्रतिशत अधिकतम रु0 1 लाख तक की धनराशि पूँजी उपादान के रूप में अनुमन्य होगी। आगामी वर्ष में उपादान की इस मात्रा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने अधिकतम रु0 5 लाख किया जाएगा ताकि पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों में उद्यमी उद्योग लगाने हेतु आकर्षित हो सकें।

विभाग द्वारा औद्योगिक इकाईयों एवं हस्तशिल्प व हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापार मेलों का आयोजन किया जा रहा है तथा विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय व जनपदस्तर की औद्योगिक प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई हैं।

प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि सूचना एवं विपणन के क्षेत्र में प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही की जा सके।

"हिमाद्रि" ब्रॉण्ड नाम से प्रदेश में निर्मित हस्त शिल्प एवं कुटीर उद्योगों में उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु यात्रा मार्ग तथा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार,

पिरान कलियर शरीफ, हेमकुण्ड साहिब, नानकमत्ता एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर विशेष बिक्री केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। "हिमाद्रि" ब्रॉण्ड नाम से राज्य की विशिष्ट पहचान बनाने हेतु नई दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों में भी विक्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

वर्ष 2006–07 में उद्यमकर्ता विकास योजना के लिए रु0 60 लाख, यू0पी0 कार्बाइड कैमिकल लिमिटेड के दायित्वों के भुगतान के लिए रु0 52.22 लाख, औद्योगिक विकास प्रोत्साहन योजना हेतु रु0 50 लाख, जिला उद्योग केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए रु0 30 लाख, लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान योजना के लिए रु0 2 करोड़ उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना के लिए रु0 1 करोड़, कलस्टर विकास योजना के लिए रु0 50 लाख, पी0एम0आर0वाई0–प्लस योजना के लिए रु0 1.25 करोड़, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए उपादान सहायता हेतु रु0 2.50 करोड़, औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए रु0 2 करोड़, हथकरघा प्रोत्साहन योजना के लिए रु0 1.05 करोड़, काशीपुर, जसपुर की रुग्ण कताई मिलों की पुनर्स्थापना एवं वी0आर0एस0 योजना के लिए रु0 6.59 करोड़ का प्राविधान है।

पन्तनगर विश्वविद्यालय में सिड्कुल औद्योगिक आस्थान एवं पन्तनगर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में पटवाडाँगर में बॉयो टेक्नॉलोजी पार्क की स्थापना हेतु रु0 15 करोड़, का प्राविधान है। हथकरघा बुनकरों एवं छीपियों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए रु0 50 लाख का प्राविधान है जिसे आवश्यकता पड़ने पर और अधिक बढ़ाया जाएगा।

भूतत्व एवं खनिकर्म

राज्य में खनिज सम्पदा से प्राप्त होने वाली आय के वर्ष 2005–06 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 40.00 करोड़ के स्थान पर रु0 44.00 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराँचल राज्य खनिज नीति, 2001 के पुनरीक्षण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

नागरिक उड्डयन

राज्य के स्वामित्व वाली हवाई पट्टियों को क्रियाशील करने हेतु योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पन्तनगर हवाई अड्डे एवं जौलीग्रांट हवाई अड्डे के समग्र विकास एवं विस्तार हेतु कार्यवाही गतिमान है।

निजी क्षेत्र के सहयोग से दिल्ली–देहरादून विमान सेवा सुचारु रूप से संचालित की जा रही है तथा नई दिल्ली–पन्तनगर–नई दिल्ली के बीच विमान सेवा परिचालन हेतु निजी क्षेत्र के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर नियमित विमान सेवाएं संचालित की जा रही हैं। निकट भविष्य में इस सेवा में विस्तार कर इसे नई दिल्ली–पन्तनगर–देहरादून–पन्तनगर–नई दिल्ली किए जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में नागर विमानन पर पूँजीगत व्यय हेतु रु0 34 करोड़ का बजट प्राविधान है। राज्य के अन्य हवाई पट्टियाँ जैसे गोचर, नैनी–सैनी, चिन्यालीसौंण के रख–रखाव तथा उन्हें कार्यशील करने के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। जिस प्रकार केदारनाथ धाम हेतु 'पवनहंस' द्वारा हैलीकॉप्टर सेवा चलाई जा रही है, ऐसी ही व्यवस्था अन्य धार्मिक स्थलों हेतु प्रारम्भ कराने का प्रयास किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास

विद्यालयी शिक्षा

विद्यालयी शिक्षा विभाग में 14847 प्राथमिक, 4067 उच्च प्राथमिक, 837 हाई स्कूल एवं 1118 इण्टरमीडिएट कॉलेज संचालित हैं, जिनमें कुल 2298331 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में गत चार वर्षों में बहुत तीव्र विस्तार एवं प्रगति की गई है।

शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य के 13 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान योजना संचालित की जा रही है जिसके लिए वर्ष 2006–07 में 25%राज्यांश के लिए रु0 40.00 करोड़ का प्राविधान है।

माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में 302 जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किया गया है, जिसमें से 169 हाई स्कूल वर्ष 2005–06 में स्थापित किए गए हैं। राज्य गठन से अब तक कुल 194 हाई स्कूलों का इण्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण किया गया है, जिसमें से 106 इण्टरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना चालू वर्ष में की गई है। राज्य के 17 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रान्तीयकृत किया गया है।

राज्य के समस्त राजकीय व परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को निःशुल्क मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन पकाने हेतु निर्धारित कनवर्जन कॉस्ट को एक रुपए प्रति छात्र प्रतिदिन से बढ़ाकर दो रुपए प्रति छात्र की गई है।

राज्य के समस्त परिषदीय एवं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना से लगभग 16 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

राज्य के सभी राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना की जा चुकी है।

राज्य के डायट विहीन 4 जनपदों में से जनपद ऊधमसिंह नगर में डायट एवं जनपद रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं बागेश्वर में मिनी डायटों की स्वीकृति प्रदान करने के साथ–साथ इन डायटों में आवश्यक पदों का सृजन भी किया जा चुका है। इससे प्रत्येक जनपद में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। आय–व्ययक में प्राथमिक शिक्षा के लिए रु0 635.12 करोड़ तथा माध्यमिक के लिए रु0 615.30 करोड़ का प्राविधान है।

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना के क्रम में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाली निर्धन परिवार की बालिकाओं को कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर रु0 3000 के विशेष अनुदान योजना को भी कार्यान्वित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा

10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्तमान महाविद्यालयों के भवनों, प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा असेवित/पिछड़े क्षेत्रों में नए महाविद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश शासन द्वारा उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में संचालित राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त स्नातक स्तर पर नवीन विषय व संकाय प्रारम्भ किए गए हैं। अब तक 9 जनपदों में 9 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है एवं 4 अन्य जनपदों में भी चरणबद्ध रूप से इनका विकास किया जाएगा।

देहरादून में उपलब्ध उच्च स्तर की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप उच्च शिक्षा हेतु दून विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विश्वविद्यालय द्वारा लगातार विशिष्टता की ओर बढ़ने के लिए अध्ययन व अध्यापन हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। दून विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए रु0 25.00 करोड़ की व्यवस्था है।

प्रदेश के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों के छात्रों तथा प्रदेश में अवस्थित सामान्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में व्यक्तिगत छात्र के रूप में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को समुचित शैक्षिक निर्देश उपलब्ध कराए जाने हेतु उत्तराँचल मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जिसके लिए रु0 8.00 करोड़ का प्राविधान है। वर्ष 2006–07 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए रु0 22.47 करोड़ तथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय के लिए रु0 19.39 करोड़ का प्राविधान है।

संस्कृत शिक्षा

हरिद्वार स्थित संस्कृत अकादमी के लिए रु0 1 करोड़ का प्राविधान है। संस्कृत शिक्षा के लिए प्रदेश द्वारा पृथक से संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जिसके लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक के माध्यम से प्राविधिक शिक्षा के विस्तार के साथ–साथ गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में सभी सहायता प्राप्त/निजी स्ववित्त पोषित संस्थाओं में संचालित तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रमों को एक ही विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाने हेतु

राज्य में उत्तराँचल तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में की गई है जिसके लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है।

वर्ष 2005–06 में पॉलिटेक्निकों में शिक्षण प्रशिक्षण को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु सभी पाठ्यक्रमों को उद्योगों के अनुरुप बनाया गया है। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को देखते हुए पाठ्यक्रमों में आई0आई0टी0 रुड़की के सहयोग से बदलाव किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो सके।

एन0टी0पी0सी0 की सहायता से कालाढूंगी में पॉलिटेक्निक स्थापित किए जाने हेतु रु0 29.35 लाख का प्राविधान है। इस पॉलिटेक्निक के भवनों के निर्माण के लिए शत–प्रतिशत सहायता एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रदेश में अन्य नए पॉलिटेक्निक खोलने के लिए नई माँग से रु0 89.19 लाख का प्राविधान है।

पन्तनगर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रु0 8.18 करोड़, द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रु0 8.57 करोड़ तथा इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के लिए रु0 10.59 करोड़ का प्राविधान है।

खेल तथा युवा कल्याण

राज्य में खेलों के विकास को सुनियोजित एवं समुचित तरीके से सीमित संसाधनों में विकसित किए जाने की दृष्टि से सरकार द्वारा खेल नीति तैयार की गयी है। वर्तमान में राज्य में 10 स्टेडियम निर्मित एवं 3 निर्माणाधीन हैं तथा 7 इण्डोर हॉल निर्मित एवं 2 निर्माणाधीन हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने हेतु 16 ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के सभी विकास खण्डों में एक ग्रामीण स्टेडियम चरणबद्ध रूप में स्थापित किया जाएगा। राज्य में शांति व्यवस्था, चुनाव ड्यूटी एवं दैवी आपदा जैसे विशिष्ट कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न कार्यों हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षित प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में लगभग पाँच हजार प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं। इन स्वयंसेवकों का मानदेय रु0 85 से बढ़ाकर रु0 100 प्रतिदिन किया गया है।

संस्कृति

संस्कृति विभाग द्वारा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का रख–रखाव व संवर्द्धन, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि का संरक्षण एवं संवर्द्धन एवं

विकास तथा इनका प्रचार–प्रसार, प्राचीन पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों का संरक्षण, सर्वेक्षण तथा इनका अनुरक्षण, प्राचीन अभिलेखों को संग्रहित कर उनका संरक्षण तथा प्रदेश की प्राचीन धरोहरों को संरक्षित रखना तथा शोध छात्र–छात्राओं को शोध कार्य करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना आदि कार्य किए जा रहे हैं। संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए आयोजनागत पक्ष में रु0 18 करोड़ का प्राविधान है। साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद् के भवन आदि के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राज्य में जनसामान्य को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरन्तर प्रयासरत है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में 124 नए उपकेन्द्रों की स्थापना, 350 उप केन्द्रों का निर्माण, 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भवन निर्माण, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 70 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण व 10 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य के 95 ब्लाकों में कार्यरत चिकित्सा इकाईयों को चरणबद्ध रुप से उच्चीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। 49 ब्लाकों में पूर्व से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा उच्च चिकित्सा संस्था क्रियाशील है। 17 ब्लाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं शेष 29 ब्लाकों में चिकित्सा संस्थाओं को चरणबद्ध रुप में उच्चीकृत किया जाएगा।

उप केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु रु0 28.15 करोड़, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण हेतु रु0 7.55 करोड़, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु रु0 8.02 करोड़ एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु रु0 15 करोड़ का प्राविधान है। जनपद ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सा तथा निदान की सुविधा हेतु सचल चिकित्सालयों की स्थापना हेतु रु0 23.33 लाख का प्राविधान है।

भारत सरकार के सहयोग से रुरल हैल्थ मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम संदर्भण (रेफरल) इकाई के रुप में विकसित किया जा रहा है। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन (एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत

राज्य में चरणबद्ध रुप से असेवित क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर से 4085 स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं (ए0एस0एच0ए0) का चयन किया जा रहा है।

द्वितीय स्तर की चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं जनसामान्य को विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राम दत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल, महिला चिकित्सालय देहरादून एवं हल्द्वानी, संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार जनपद पौड़ी, जवाहर लाल नेहरु जिला चिकित्सालय रुद्रपुर जनपद ऊधमसिंह नगर का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

कैंसर रोगियों के विशिष्ट उपचार हेतु कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून में ओंकोलोजी यूनिट की स्थापना केन्द्र सरकार के सहयोग से की जा रही है। विश्व बैंक पोषित उत्तराँचल हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु रु0 10 करोड़ का प्राविधान है। पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम व सुदूर स्थानों पर चिकित्सा व निदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 9 सचल चिकित्सा वैन के संचालन हेतु नई माँग के माध्यम से रु0 1.07 करोड़ का प्राविधान है। यात्रा मार्गों पर 5 स्थानों पर नई माँग

के माध्यम से ट्रोमा सेंटर के निर्माण व स्थापना हेतु रु0 4.50 करोड़ का प्राविधान है।

श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय श्रीनगर का 300 शैय्याओं हेतु विस्तारीकरण पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2006–07 में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हेतु रु0 21.47 करोड़ एवं रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज हेतु रु0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

जनसामान्य को स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में जागरुक करने तथा एक ही स्थान पर विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नई माँग के माध्यम से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 'स्वास्थ्य मेला' आयोजित करने हेतु रु0 5 लाख प्रति की दर से रु0 3.55 करोड़ का प्राविधान है।

नई माँग के माध्यम से पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत शंकर नेत्रालय, चेन्नई के सहयोग से तृतीयक स्तर (टर्शयरी) के नेत्र चिकित्सालय की स्थापना हेतु रु0 1.25 करोड़ का प्राविधान है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में एम्स की स्थापना के लिए के लिए भी धनराशि का प्राविधान किया है जिसके लिए हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं।

आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा

राज्य में 498 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सालय कार्यरत हैं। ग्रामीण अंचलों में जहाँ पर किसी भी पद्धति की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसे दृष्टिगत रखते हुए 24 आयुर्वेदिक, 9 यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना तथा टी0एस0पी0 योजना के तहत 5 और एस0सी0पी0 के तहत 5 चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के ज्ञान में वृद्धि हेतु 2006–07 के आय–व्ययक में पुनर्बोध प्रशिक्षण/सतत लघु अवधि प्रशिक्षण संचालित किए जाने हेतु प्राविधान है।

प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की बढ़ती माँग को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए 8 होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत 1 तथा एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत 3 चिकित्सालयों, कुल 12 चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 3 जिला होम्योपैथिक अधिकारी

कार्यालयों की स्थापना का लक्ष्य है। जन सामान्य को होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए रु0 14.59 करोड़ का प्राविधान है।

आवास एवं नगर विकास

प्रदेश को पर्यटन मानचित्र में और अधिक आगे लाने तथा तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। शहरी विकास योजनाओं के लिए आय–व्ययक में गत वर्ष के अनुमान रु0 240 करोड़ के सापेक्ष रु0 374 करोड़ की व्यवस्था है, कुम्भ क्षेत्र के नियंत्रण एवं व्यवस्था के लिए रु0 10 करोड़, बाह्य सहायतित परियोजना के लिए रु0 10 करोड़, कम लागत के व्यक्तिगत शौचालयों के लिए रु0 3 करोड़, नैनीताल क्षेत्र की झीलों तथा बलिया नाला के सुधार एवं संरक्षण हेतु रु0 22.55 करोड़, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण व विकास के लिए रु0 20 करोड़ तथा नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के लिए रु0 67.24 करोड़ का प्राविधान है। विभिन्न परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारी के लिए रु0 3 करोड़ का प्राविधान है। केन्द्र पोषित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लिए रु0 2 करोड़ आवास एवं मलिन बस्ती

सुधार के लिए रु0 15 करोड़ मोहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। गंगोत्री में पार्किंग की व्यवस्था हेतु रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। गंगा कार्य योजनान्तर्गत रु0 18 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राईबल सब–प्लान में भी व्यवस्था की गई है।

पर्यटन

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सुनियोजित एवं त्वरित समेकित विकास हेतु विभिन्न विधाओं तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि, पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूँजी निवेश में वृद्धि, रोजगार के लिए उपादान योजनाएं, मानव संसाधन विकास, प्रचार–प्रसार एवं पर्यटन विपणन, पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग को प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण रोजगारोन्मुखी गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है। हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं कि उत्तराँचल में एक होटल मैनेजमैंट संस्थान खोलने के निर्णय का उल्लेख इस वर्ष के आय–व्ययक में लिया गया है।

विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं को सृजित करने की दृष्टि से तैयार किए गए विभिन्न मास्टर प्लान प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। चारधाम क्षेत्र का विकास, पौड़ी–खिर्सू–लैंसडाउन व पिथौरागढ़–मुन्श्यारी नए पर्यटन परिपथों से सम्बन्धित मास्टर प्लान भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी को स्की–रिजॉर्ट के रूप में विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार कर उसे विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है।

आगामी वित्तीय वर्ष में हेमकुण्ड साहिब–फूलों की घाटी, नैनीताल–अल्मोड़ा पर्यटन परिपथ सहित श्री गंगोत्री व श्री केदारनाथ धाम में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। अन्य छोटे–बड़े पर्यटन गन्तव्यों में विभिन्न अवस्थापनाओं के सृजन हेतु लगभग रु0 15 करोड़ का प्राविधान केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त किया जा रहा है। नानकमत्ता, पिरान कलियर शरीफ आदि धार्मिक स्थलों पर भी पर्यटक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए इस योजना का बेरोजगार

युवकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। उपादान राशि बढ़ाकर 25 प्रतिशत व योजना राशि बढ़ाकर रु0 15 लाख कर दी गई है जिससे उच्च स्तरीय पर्यटन इकाईयाँ/सुविधाएं सृजित हो सकें। पर्यटकों की सुरक्षा एवं मार्ग दर्शन प्रदान किए जाने हेतु पर्यटन पुलिस की व्यवस्था भी की गई है।

समाज कल्याण

मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलाँगों एवं समाज के सभी कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए वचनबद्ध है। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में केन्द्राँश रु0 200 प्रति लाभार्थी प्रति माह आगामी वित्त वर्ष से दिए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी रु0 200 का अंशदान दिया जाएगा और जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उन सबको रु0 400 प्रतिमाह की दर से पेंशन स्वीकृत की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन के लिए रु0 33.85 करोड़ की व्यवस्था है। विधवा पेंशन एवं विकलाँग पेंशन भी सभी पात्र विधवाओं एवं पात्र विकलाँगजनों को रु0 400 प्रति माह की बढ़ी हुई दर से अनुमन्य की जाएगी। विधवा पेंशन के लिए आय–व्ययक में

रु0 20.01 करोड़ की व्यवस्था है। विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं से सभी पात्र लाभार्थियों को आच्छादित करना सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कल्याण

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु रु0 4.00 करोड़ का प्राविधान है। राज्य के अधिकाँश भागों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग गाँवों तथा शहरों के विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रित होते हैं जो प्रायः प्रतिष्ठित भागों से अलग समझे जाते हैं तथा ऐसे क्षेत्रों में सामान्य सुविधाओं का अभाव भी रहता है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत 'अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं की योजना को गति देने हेतु इसका क्रियान्वयन जिलास्तरीय समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है एवं इन समितियों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2006–07 में इस योजना हेतु रु0 50.35 करोड़ की धनराशि का प्राविधान है। प्रदेश सरकार के प्रयास से भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को नई दिशा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राईबल सब–प्लान के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नियोजन विभाग से हटाकर समाज कल्याण विभाग को दी है जिसमें एक अलग प्रकोष्ठ का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि इन वर्गों के हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2005–06 के बजट में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक से क्रमशः अनुदान संख्या 30 एवं अनुदान संख्या 31 आवंटित किया गया है जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही कल्याण योजनाओं का बेहतर अनुश्रवण एवं मूल्याँकन हो सकेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दी जा रही छात्रवृत्ति की दरें कक्षा 1 से 10 तक दोगुनी कर दी गई हैं। वित्तीय वर्ष 2006–07 में छात्रवृत्ति के लिए रु0 41.12 करोड़ का प्राविधान है। आश्रम पद्धति विद्यालयों के 4 भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय

वर्ष 2006–07 में रु0 6.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम से सहायता प्राप्त कर लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति इस वर्ष दोगुनी कर दी गई थी तथा वर्ष 2006–07 में छात्रवृत्ति के लिए रु0 4.60 करोड़ का प्राविधान है।

विकलाँग कल्याण

विकलाँगजनों के कल्याण के लिए पृथक विकलाँगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई है ताकि इनके लिए समग्र रूप से कार्यवाही की जा सके। इन्हें भारत सरकार की सहायता से स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे हैं तथा प्रशिक्षण सहित अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2006–07 के लिए विकलाँग कल्याण हेतु रु0 7.91 करोड़ का प्राविधान है।

प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में निःशक्तजनों को विकलाँगजन अधिनियम द्वारा प्राविधानित 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने हेतु पदों का चिन्हीकरण कर विशेष भर्ती अभियान गतिमान है।

अल्पसंख्यक कल्याण

हमारे अल्पसंख्यक भाईयों एवं बहनों की ओर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। वर्ष 2006–07 के लिए 125000 अल्पसंख्यक छात्रों को लाभान्वित करने हेतु रु0 5.80 करोड़ की धनराशि छात्रवृत्ति के रुप में व्यय करने का प्राविधान किया है। राज्य में मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से "मुस्लिम एजुकेशन मिशन" की स्थापना की गई है। इसके अन्तर्गत 'प्राजेक्ट तालीम' के माध्यम से मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा दिलाने की कार्यवाही गतिमान है। मुस्लिम समुदाय के युवक एवं युवतियों को रोजगारपरक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से "प्रोजेक्ट बुलन्द" को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है जिससे समुदाय में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। इस हेतु रु0 55 लाख का प्राविधान है।

अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को सिलाई–बुनाई इत्यादि का प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाने के लिए नई माँग से रु0 2

करोड़ का प्राविधान है। देहरादून में मुसाफिरखाने का निर्माण के लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम को स्वरोजगार योजनाओं के संचालन हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ स्थापित उद्यम 'उपसुल' ने अपनी स्थापना दिनाँक 15 मई, 2004 से अब तक विभिन्न उत्तराँचल सरकार एवं भारत सरकार के विभागों, उद्यमों, उपक्रमों, संस्थाओं आदि में लगभग 3000 व्यक्तियों को सेवायोजित किया है। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड को उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर ही कार्य करने का निर्देश दिया गया है जिससे उत्तराँचल में उपसुल के माध्यम से और अधिक भूतपूर्व सैनिकों को सेवायोजित किया जा सकेगा।

वर्ष 2005–06 में 651 भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में सेवायोजित किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र देहरादून व अल्मोड़ा में संचालित हैं।

युद्ध विधवाओं एवं आश्रित पुत्रियों के पुनर्वास हेतु महिला प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी में सिलाई–बुनाई एवं कढ़ाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पूर्व सैनिकों/सैनिक आश्रितों के कल्याण हेतु वर्ष 2005–06 में एक नई योजना प्रारम्भ की है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिला स्तर पर पूर्व सैनिकों/सैनिक आश्रितों को कौशलवृद्धि एवं रोजगारपरक योजना के अन्तर्गत अभिमुखीकरण, कोचिंग तथा व्यवसायिक (कम्प्यूटर) प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदेश के द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के जीविकोपार्जन हेतु 1 अप्रैल, 2005 से दिए जाने वाले अनुदान को रु0 500 से बढ़ाकर रु0 1000 प्रतिमाह कर दिया गया है, जिससे लगभग 4110 पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाएं लाभान्वित होंगी। वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को देय अनुदानों एवं वार्षिकी (एन्युटी) में भी वृद्धि की गई है। सैनिक कल्याण की विभिन्न कार्यक्रमों के लिए रु0 7.87 करोड़ का प्राविधान है। सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए रु0 1.41 करोड़ की व्यवस्था है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान स्वरूप दी जाने वाली पेंशन में भी वृद्धि की गई है तथा केन्द्र की भाँति

राजनीतिक पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की जा रही है जिसके लिए रु0 12.80 करोड़ का प्राविधान है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

उत्तराँचल राज्य गठन का आन्दोलन हो अथवा यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था का प्रश्न हो, यहाँ महिला शक्ति का अभूतपूर्व योगदान रहा है। नवीन राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास नामक नए विभाग की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास सम्बन्धी योजनाओं को गति प्रदान की जाए।

राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय मलिन बस्तियों में आई0सी0डी0एस0 के आच्छादन को लक्ष्य बनाते हुए केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया है।

किशोरियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिसके लिए किशोरी शक्ति योजना समस्त बाल विकास परियोजनाओं में लागू की जाएगी। प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र पर 3 किशोरियों को पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों में एनीमियाँ की समस्या के निवारण हेतु 'डबल फोर्टीफाईड नमक' (इस नमक में आयोडीन तथा ऑयरन का मिश्रण है) का वितरण सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों से निःशुल्क

कराया जा रहा है। सभी केन्द्रों में पके–पकाए भोजन की भी व्यवस्था प्रारम्भ की गई है ताकि पोषाहार को बच्चों के स्वादानुसार पकाकर खिलाया जाए।

स्वयंसिद्धा एवं इन्दिरा महिला समेकित विकास योजनाओं को लागू करते हुए महिलाओं में जीविकोपार्जन एवं आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पहाड़ की महिलाओं पर अत्याधिक कार्य बोझ को कम करने हेतु तथा "महिला स्वयं सहायता समूहों" के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत उदिशा प्रशिक्षण परियोजना, मेडिसीन किट, प्री–स्कूल एजुकेशन किट, अनुपूरक पोषाहार, ऑयरन ऑयोडीन युक्त नमक, कुक्ड फूड स्कीम, आई0सी0डी0एस0 तृतीय, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना, स्वयंसिद्धा परियोजना (आई0डब्ल्यू0ई0पी0), इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना आदि के लिए कुल रु0 56 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य के विकास में महिलाओं की विशेष भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2006–07 को "महिला सशक्तिकरण वर्ष" घोषित किया गया है एवं सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे

आने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव है। साथ ही महिलाओं के नाम से भूमि अथवा भवन क्रय करने पर स्टॉम्प ड्यूटी में छूट देना प्रस्तावित है।

कृषि एवं जलागम प्रबन्धन

कृषि क्षेत्र में विकास की गति को तीव्रतर किए जाने हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में एग्रीकल्चर टैक्नॉलोजी मैनेजमेंट एजेंसी के गठन के साथ केंद्र पोषित सपोर्ट–टू–स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स को आठ जनपदों से बढ़ाकर समस्त 13 जनपदों में लागू किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जनपदों को विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन के अन्तर्गत बाँटते हुए स्ट्रेजिक रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन प्लान तैयार की जा रही है। इससे क्षेत्र विशेष की समस्याओं का समझने तथा उनके लिए विकास की रणनीति तैयार करने में प्रभावकारी निर्देशन प्राप्त होगा। भारत सरकार से इस कार्यक्रम हेतु अगले वर्ष 2006–07 के लिए रु0 2 करोड़ का परिव्यय सुनिश्चित किया गया है। इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर किसान सूचना एवं सलाहकार केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

राज्य में क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप कृषकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैदानी क्षेत्र में ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के कृषि यंत्रों को प्रोत्साहन के साथ जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उन्नत प्रजाति के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2006–07 में कोरवैली बीजोत्पादन कार्यक्रम को प्रदेश की अन्य घाटियों तक फैलाया जाएगा। इस हेतु रु0 1 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के सहयोग से "पर्वतीय फसलों का पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का शोध कार्यक्रम" संचालित किया जाएगा।

मैक्रोमैनेजमेंट में कृषि योजनान्तर्गत एकीकृत धान्य, दलहन एवं तिलहन विकास कार्यक्रम, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, गन्ना विकास कार्यक्रम तथा प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु रु0 20 करोड़ की व्यवस्था है।

वर्तमान में कार्यान्वित विश्व बैंक की वित्त पोषित उत्तराँचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना "ग्राम्या" के अन्तर्गत 7 जनपदों के 12 विकास खण्डों के 251 ग्राम

पंचायतों में परियोजना कार्य प्रारम्भ किया गया है। रु0 405 करोड़ की लागत की यह परियोजना पर्वतीय जनपदों के 18 विकास खण्डों के 461 ग्राम पंचायतों में चलाई जानी है। चयनित क्षेत्रों की अवशेष 210 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2006–07 से परियोजना प्रारम्भ की जाएगी। इसके अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में रु0 34.48 करोड़ का प्राविधान है।

उद्यान

उत्तराँचल की भौगोलिक परिस्थितियों तथा जलवायु को देखते हुए कृषि योग्य भूमि का अधिकतम एवं लाभकारी उपयोग औद्यानिक फसलों से ही सम्भव है। उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन तथा फल पट्टी विकास के अन्तर्गत औद्यानिक फसलों को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करना, फल विकास, शाकभाजी विकास, आलू विकास, पुष्प विकास, औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशों पर राज सहायता तथा फल पट्टी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, एपिडा, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आदि की योजनाओं पर 20 प्रतिशत राज्याँश की योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक औद्यानिकी,

खाद्य प्रसंस्करण, कूल चेन आदि की विभिन्न योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सहायता राशि के समतुल्य सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। औद्यानिक विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2006–07 हेतु रु0 29.28 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राईबल सब–प्लान में भी व्यवस्था है।

चाय विकास

उत्तराँचल की जलवायु उच्च गुणवत्ता युक्त चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त है, अतः इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006–07 में 75 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय बागान स्थापित करने का लक्ष्य है तथा रु0 69000 प्रति हेक्टेयर सहायता चाय कृषिकरण हेतु मैचिंग ग्राण्ट के रूप में 30 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है एवं 24 लाख चाय पौध नर्सरी का अनुरक्षण व 27 लाख नई चाय पौध तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि केन्द्र सरकार द्वारा चाय विकास के लिए 'चाय निधि' स्थापित करते हुए वर्ष 2006–07 के लिए रु0 100 करोड़ दिए जाने का प्राविधान किया है और पाँच चाय उत्पादक राज्यों में उत्तराँचल को भी सम्मिलित किया

गया है जिससे राज्य में चाय विकास की गतिविधि में तेजी लाई जा सकेगी। प्रदेश में चाय विकास बोर्ड का गठन भी किया गया है।

रेशम विकास

रेशम उत्पादन प्रचार–प्रसार योजना के अन्तर्गत रेशम कीटपालन व कोया उत्पादन एवं विपणन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य लगभग 3500 रेशम कीटपालक परिवारों द्वारा किया जाता है। सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु कार्यशील पूँजी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की पंजीकृत रेशम सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करते हुए इन समितियों के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों का सम्पादन कराने का प्रयास है। समितियों के माध्यम से शहतूत वृक्षारोपण, चॉकी कीटपालन, उत्तरावस्था कीटपालन, कोया उत्पादन, कोया विपणन, रेशम धागाकरण इत्यादि क्रियाकलाप सम्पन्न कराने हेतु वर्ष 2006–07 में योजना में रु0 5.94 करोड़ का प्राविधान है। चॉकी भवनों का निर्माण एवं रिनोवेशन के लिए रु0 80 लाख का प्राविधान है।

जैविक रेशम विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत जैविक क्रियाकलापों, जैव उर्वरकों आदि के माध्यम से सामुदायिक/ निजी क्षेत्र को रेशम विकास गतिविधियों में पूर्व सक्षम एवं दक्ष

बनाता है। वृक्षारोपण विकास कार्यक्रम के लिए रु0 8.00 लाख का प्राविधान है। इसके साथ–साथ विभाग द्वारा 90 प्रतिशत केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजना सी0डी0पी0 के लिए रु0 31 लाख का प्राविधान है। रेशम प्रशिक्षण योजना के लिए रु0 56 लाख का प्राविधान है।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

गन्ना किसानों के व्यापक हित में पेराई सत्र 2004–05 में कुल पेरे गए गन्ने का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान रु0 419.54 करोड़ पेराई सत्र 2005–06 प्रारम्भ करने से पूर्व ही किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा गन्ना कृषकों के वृहद हितों के दृष्टिगत पेराई सत्र 2005–06 में सामान्य गन्ने की प्रजाति का मूल्य रु0 115 प्रति कुन्टल एवं अगेती प्रजाति का गन्ना मूल्य रु0 120 प्रति कुन्टल घोषित किया गया है। उक्त गन्ना मूल्य गत वर्ष की तुलना में रु0 8 प्रति कुन्टल अधिक है।

गन्ने के प्रति हैक्टेअर उत्पादन में वृद्धि एवं चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ना उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभाग द्वारा चलाई जा रही पाँच वर्षीय गन्ना बीज बदलाव योजना के अन्तर्गत गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा विकसित प्रजातियों के साथ–साथ

प्रदेश के बाहर से प्रदेश की जलवायु एवं मृदा के अनुकूल प्रजातियों को कृषकों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

गन्ना विकास की योजनाओं के अन्तर्गत अन्तर्ग्रामीण सड़क योजनाओं के लिए रु0 75 लाख तथा गन्ना विकास की योजना के लिए रु0 55 लाख का प्राविधान है।

चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार किए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा रु0 114.00 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जा रहा है। गन्ने की प्रजातियों के त्वरित विकास हेतु पन्तनगर विश्वविद्यालय में एक टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने के लिए रु0 5.70 करोड़ का प्रस्ताव भी भारत सरकार को शुगर डेवलपमेंट फण्ड से सहायता हेतु भेजा गया है।

पशुपालन एवं डेरी विकास

पशुपालन की विभिन्न योजनाओं यथा पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों में दवा, रोग नियंत्रण हेतु वैक्सीन व्यवस्था, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, चारा विकास कार्यक्रम आदि हेतु रु0 21 करोड़ से अधिक की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राईबल सब–प्लान

में व्यवस्था की गई है। प्रदेश में बर्ड फ्लू पर निगरानी रखने एवं बर्ड फ्लू की घटना होने पर तत्काल रोकथाम के लिए टॉस्क फोर्स का भी गठन किया गया है।

राज्य में डेरी विकास हेतु संचालित डेरी विकास योजना, महिला डेरी विकास परियोजना, सघन मिनी डेरी परियोजना, ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, समन्वित डेरी विकास योजना आदि योजनाओं के लिए रु0 10.00 करोड़ से अधिक की व्यवस्था की गई है।

मत्स्य विकास

उत्तराँचल में मत्स्य विकास हेतु जल सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिसमें मत्स्य विकास कर इस सम्पदा के समुचित उपयोग से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अंचल में प्रोटीनयुक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन तथा निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य पालन की विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग रु0 7.73 करोड़ का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास

केन्द्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन कार्य को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना द्वारा ग्रामीण रोजगार को सम्पूर्ण ग्रामीण योजना द्वारा, ग्रामीण आवास को इन्दिरा आवास/प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना द्वारा तथा संयोजिता को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में सक्रियतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रदेश के 5 जनपदों तथा टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के 17 विकास खण्डों में 42960 परिवारों के आजीविका अवसर हेतु वाह्य सहायतित परियोजना आई0एफ0ए0डी0 द्वारा स्वीकृत की गई है जिसके लिए रु0 15.31 करोड़ का प्राविधान है।

रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए लगभग रु0 19.06 करोड़ तथा ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के लिए रु0 12 करोड़ का प्राविधान है। इन्टीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, अन्य जलागम योजनाओं हेतु रु0 1.40 करोड़ का प्राविधान है। सूखा क्षेत्र हेतु रु0 6.31 करोड़ का प्राविधान है। प्रधानमंत्री ग्राम

सड़क योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन आदि के लिए राज्यांश के रूप में रु0 60 करोड़ का प्राविधान है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष में लगभग 15660 लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य है जिससे लगभग 52000 व्यक्तियों को वर्ष में 300 दिन रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। प्रदेश में 18500 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेन्स) में वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नीति का लाभ उठाते हुए की जाएगी।

राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रदेश के सबसे पिछड़े तीन जनपदों टिहरी, चम्पावत व चमोली में फरवरी, 2006 से योजना आरम्भ की जा चुकी है। इस योजना हेतु वर्ष 2006–07 में रु0 8.70 करोड़ का प्राविधान राज्याँश के रूप में है। भविष्य में इस योजना का अन्य जनपदों में भी चरणबद्ध रूप से विस्तार किया जाना है। इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए जाने हेतु पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एक नई उत्तराँचल सार्वभौमिक रोजगार योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिए नई माँग से रु0 32.50 करोड़ की व्यवस्था है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों, विशेष रूप

से शिक्षित बेरोजगारों को आयवर्द्धक रोजगार उपलब्ध कराना है।

पंचायती राज

प्रदेश में 4583 पंचायत भवनविहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण हेतु रु0 78 करोड़ की धनराशि 2 वर्षों में उपलब्ध कराई गई है तथा अवशेष कार्यों हेतु रु0 89.64 लाख का प्राविधान है। क्षेत्र पंचायत निधि के लिए रु0 23.74 करोड़ की व्यवस्था है। 12वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर ग्राम पंचायतों हेतु रु0 64.00 करोड़, इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत रु0 142.46 करोड़ का प्राविधान किया गया है। पंचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ किए जाने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय दिए जाने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

विधायक निधि

वर्ष 2006–07 में विधायक निधि के अन्तर्गत रु0 71.00 करोड़ का प्राविधान है।

सहकारिता

सहकारिता की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 29.59 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसमें सहकारी ऋण सम्बन्धी योजना, भेषज विकास एवं जड़ी बूटी योजना, सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार, लघु एवं सीमान्त कृषक सदस्यों हेतु दुर्घटना बीमा योजना आदि शामिल हैं।

वन एवं पर्यावरण

प्रदेश में वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए जनसहभागिता वन प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जनसहभागिता के संदर्भ में बाँस, च्यूरा, थुनेर तथा बायोफ्यूल, जेट्रोफा आदि प्रजातियों की रोजगारपरक वृक्षारोपण योजनाएं लागू की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2006–07 में नई माँग से अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं जिसके अन्तर्गत हर्बल गार्डन की स्थापना एवं विकास के लिए रु0 1 करोड़, संरक्षण आरक्षिति प्रबन्धन जैसे आसन झील, झिलमिल ताल आदि के लिए रु0 1 करोड़, वन प्रभागों में वास स्तर सुधार के लिए रु0 2 करोड़, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव प्रबन्धन के लिए रु0 2 करोड़, समस्याग्रस्त वन्य जीवों के लिए रु0 2 करोड़ व वन क्षेत्रों में स्थित गोठ, खत्ते एवं टोंगियाँ बस्तियों के पुनर्वास

के लिए रु0 5 करोड़ तथा मूल्यवान भेषजीय महत्व की वृक्ष प्रजातियों का रोपण के लिए रु0 10 करोड़ की व्यवस्था है।

वन मोटर मार्गों के विशेष सुदृढ़ीकरण की योजनान्तर्गत रु0 100 करोड़ की व्यवस्था है। फॉरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट/ मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के लिए रु0 41 करोड़ की व्यवस्था है।

नियोजन

केन्द्र पोषित सीमान्त विकास खण्डों का विकास योजनान्तर्गत रु0 8 करोड़ तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के लिए रु0 36.90 करोड़ का प्राविधान है। सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत रु0 22.40 करोड़ तथा भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण को अनुदान के लिए रु0 5 करोड़ की व्यवस्था है जिसे यथावश्यकता बढ़ाया जाएगा।

कर्मचारी कल्याण

उत्तराँचल में नई सरलीकृत भविष्य निर्वाह निधि नियमावली बनाई गई है, इसमें वर्ग 'घ' के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि विषयक निष्कासन की स्वीकृति के अधिकार कार्यालयाध्यक्ष को दे दिए गए हैं। कम्प्यूटर, वॉशिंग मशीन,

इनवर्टर एवं घरेलू उपयोग हेतु फर्नीचर के क्रय के लिए अस्थाई अग्रिम स्वीकृति किए जाने की व्यवस्था की गई है। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा एवं विवाह आदि के लिए अंतिम प्रत्याहरण की सीमा 20 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया है।

राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के चिकित्सा उपचार के लिए स्मार्ट कार्ड पर आधारित बीमा कम्पनी के माध्यम से सरकारी एवं ख्यातिप्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।

सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश को सरलीकृत कर रेल के अलावा वायुयान तथा अन्य साधनों से भी यात्रा किए जाने की छूट पात्र कर्मियों के लिए की गई है। जिन प्रकरणों में समता समिति के सिद्धान्तों तथा अन्य मानकों के आधार पर वेतन विसंगति के प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं उनके लिए शासन स्तर पर वेतन विसंगति समिति का गठन किया गया है।

बैंक से भवन निर्माण अग्रिम/भवन मरम्मत अग्रिम राज्य कर्मचारियों को दिए जाने का प्रस्ताव है। इस व्यवस्था से राज्य कर्मचारियों की माँग के अनुसार बैंक द्वारा ऋण एवं अग्रिम

उपलब्ध कराया जाएगा, वर्तमान में इस हेतु राज्य के सीमित संसाधनों के कारण माँग के अनुरूप ऋण एवं अग्रिम दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा था। ऋण एवं अग्रिम रु0 2.50 लाख तक की धनराशि पर राज्य सरकार के व्यय पर बीमा की व्यवस्था की जा रही है तथा दुर्घटना की स्थिति में बैंक के व्यय पर दुर्घटना के समय अवशेष मूलधन एवं ब्याज पर बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार एक साथ दो बीमा योजनाएं देश में सभी सरकारी सेवकों हेतु उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

सीमित संसाधनों के बावजूद केन्द्र सरकार की भाँति 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़ने तथा केन्द्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिया जाने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य प्रशासनिक सेवाएं

न्याय प्रशासन

न्यायिक कार्यों के लिए भवनों के निर्माण हेतु रु0 18 करोड़ का प्राविधान है। न्यायिक कार्य के प्रभावी संचालन के लिए बार एसोसिएशन के भवन एवं पुस्तकालयों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसके लिए नई माँग से अनुदान के रूप में रु0 2 करोड़ का प्राविधान है।

राजस्व प्रशासन एवं सामान्य प्रबन्धन

सरकार राजस्व प्रशासन का निरन्तर सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण कर रही है। नव सृजित जनपदों तथा तहसीलों के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु रु0 3 करोड़ का प्राविधान है। राजस्व अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है तथा अब जनता को कम्प्यूटरीकृत खतौनी की प्रति जारी की जा रही है। राजस्व पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए भी रु0 2.27 करोड़ का प्राविधान है।

आपदा प्रबन्धन

राज्य की विशेष भौगोलिक स्थितियों के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत पूर्व तैयारी करने एवं बचाव तथा पुनर्स्थापना कार्यों हेतु मेरी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। विगत माहों में वर्षा की कमी के दृष्टिगत राज्य के 11 जनपदों की 56 तहसीलें व 3 उप तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित की गई हैं तथा उनके मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है। जबकि विविध देयों की वसूली हेतु उत्पीड़क कार्यवाही पर रोक लगाई गई है।

प्राकृतिक आपदाओं तथा दुर्घटनाओं आदि के समय खोज एवं बचाव कार्यों हेतु विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत अब तक 495 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह कार्यक्रम वर्ष 2006–07 में भी चलाया जाएगा। विभागीय व निजी अभियन्ताओं को भूकम्परोधी भवन तकनीक में प्रशिक्षित किए जाने की कार्यवाही भी वर्ष 2006–07 में प्रारम्भ की जाएगी जिसमें 360 अभियन्ता प्रशिक्षित किए जाने प्रस्तावित हैं। आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए गाँवस्तर, विकास खण्डस्तर, जनपदस्तर व राज्यस्तर पर आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार की जानी प्रस्तावित हैं तथा जनपद व राज्यस्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र निर्मित किए जा रहे हैं।

पुलिस

राज्य की प्रगति के लिए कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा का वातावरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश में तेजी से औद्योगीकरण हो रहा है तथा अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकसी रखे जाने की भी आवश्यकता बढ़ गई है इसलिए इस वर्ष पुलिस बल के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में नई माँग से 19 थानों का उच्चीकरण,

जल पुलिस के लिए पदों की व्यवस्था तथा लगभग 106 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी/देख–रेख पुलिस चौकी जो अस्थाई रूप से खोली गई थीं, को स्थाई किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत थाना पोखरी/थराली (चमोली)/घनसाली (टिहरी)/रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कैम्पटी (मसूरी), नीलकण्ठ (लक्ष्मण झूला) एवं देख–रेख चौकियाँ, देवल तथा घाट (चमोली) स्थापित की जाएंगी। कुमाऊँ परिक्षेत्र में भी थाना सल्ट (अल्मोड़ा), कपकोट (बागेश्वर), थाना तामली (चम्पावत) तथा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी डगोली, कौसानी, रीमा, कमेड़ी देवी (बागेश्वर) में नए थाने/चौकियाँ थाना बलुआकोट, थाना पागला (पिथौरागढ़), देख–रेख चौकी हल्दू, देख–रेख चौकी बूंदी, देख–रेख चौकी गाला, कालापानी, चौकी डाँडा, बूम, चाकी मण्डलक, रौसाल एवं थाना बेतालघाट (नैनीताल) की स्थापना की जा रही है।

प्रदेश में प्रथम बार यातायात पुलिस के लिए भी नई माँग में पृथक से व्यवस्था की गई है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए रु0 28 करोड़ की व्यवस्था है। पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए रु0 29.70 करोड़ की व्यवस्था है। पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। पुलिस बल के विस्तार एवं

आधुनिकीकरण की आवश्यकता को देखते हुए पुलिस विभाग के बजट में गत वर्ष की तुलना में लगभग रु0 37 करोड़ की वृद्धि की गई है।

होमगार्ड्स

विगत वर्षों में होमगार्ड्स की राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने इत्यादि कार्यों में अहम भूमिका रही है। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को माह अक्टूबर, 2005 से प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता रु0 85 से बढ़ाकर रु0 100 तथा प्रशिक्षण भत्ता रु0 28 से बढ़ाकर रु0 50 किया गया है तथा सभी होमगार्ड्स का बीमा भी कराया जाएगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरण हेतु खाद्यान्न, चीनी, एवं मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, साथ ही मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान तथा गेहूँ की खरीद की जा रही है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण या जिला फोरम द्वारा परिवादों का निस्तारण किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण के

कार्यों के लिए रु0 1.19 करोड़ का प्राविधान है। खाद्य विभाग के अन्तर्गत गोदामों के निर्माण एवं भूमि के क्रय हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

श्रम एवं सेवायोजन

उत्तराँचल में मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित करने हेतु औद्योगिक विवादों के निस्तारण में द्विपक्षीय वार्ता की संस्कृति विकसित करना, उत्पादन क्षेत्र के साथ–साथ जनहित सेवा प्रदाय संस्थानों में कार्य संस्कृति और कौशल विकसित करना, न्यूनतम श्रम मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करना, बाल व बंधुवा श्रम की सामाजिक बुराई की रोकथाम की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करना, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, सम्बन्धित श्रोतों से सुझाव आमंत्रित कर श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा के कानूनों को युक्ति संगत और सरल बनाना तथा निरीक्षण व्यवस्था को सुखकर एवं पारदर्शी बनाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

उत्तराँचल के समस्त सेवायोजन कार्यालयों, कैरियर काउंसिलिंग केंद्रों का सुदृढ़ीकरण व नेटवर्किंग एवं उत्तराँचल के सेवायोजन कार्यालयों को कैरियर काउंसिलिंग के रूप में

विकसित किये जाने, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत, रामनगर के सेवायोजन कार्यालयों, कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों के संचालन एवं सुदृढ़ीकरण, समस्त सेवायोजन कार्यालयों, कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों में विकलाँग अभ्यर्थियों हेतु गठित विशेष यूनिटों का विकास किए जाने, देहरादून में स्टेट रिसोर्स सेंटर का विकास किए जाने, उत्तरकाशी एवं चम्पावत में सचल कैरियर काउंसिलिंग केंद्रों की स्थापना किए जाने आदि योजनाओं के लिए कुल रु0 11.91 लाख का प्राविधान है।

ट्राईबल सब–प्लान के अन्तर्गत चल रहे शिक्षण एवं मार्ग–दर्शन केन्द्रों कालसी (देहरादून), धारचूला (पिथौरागढ़) एवं दिनेशपुर (ऊधमसिंह नगर) में कम्प्यूटर शिक्षा प्रणाली लागू करना प्रस्तावित है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क

वित्तीय वर्ष 2006–07 में सरकार द्वारा प्रचार–प्रसार को महत्व देते हुए कई महत्वपूर्ण प्रकाशन किए हैं, इनमें 'सपना हुआ साकार' जनपदवार 'तब और अब', 'उत्तराँचल आइडिया दैट वर्क्ड', 'संतुलित–समयबद्ध–समग्र विकास' का उद्देश्यपूर्ण प्रकाशन किया गया है। हमारी सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर एक 'विकास पुस्तिका' का प्रकाशन किया गया है। इन

महत्वपूर्ण प्रकाशनों के साथ 'उत्तराँचल दर्शन' पत्रिका का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रदेश में फिल्म परिषद् की स्थापना के लिए रु0 1 करोड़, गीत एवं नाट्य योजना के लिए रु0 30.62 लाख, प्रेस क्लबों की स्थापना के लिए रु0 80 लाख तथा जिला सूचना कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए रु0 57.80 लाख का प्राविधान है।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2006–07 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

वर्ष 2006–07 के बजट का वित्तीय विवरण

प्राप्तियाँ

वर्ष 2006–07 में रु0 9902.73 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 7440.53 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा रु0 2462.20 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2006–07 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 3136.70 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रु0 1065.28 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय

वर्ष 2006–07 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर लगभग रु0 467.70 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में लगभग रु0 1006.25 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग रु0 1922.64 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रु0 701.98 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्तिक लाभों के रूप में लगभग रु0 411.41 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2006–07 में कुल व्यय रु0 10925.46 करोड़ अनुमानित है।

कुल व्यय में रु0 7596.24 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 3329.22 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा

समेकित निधि में रु0 5024.73 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 5900.73 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रु0 2315.76 करोड़ आयोजनागत तथा रु0 5280.48 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी

प्रकार रु0 2708.97 करोड़ आयोजनागत पूंजी लेखा तथा रु0 620.25 करोड़ आयोजनेत्तर पूंजी लेखा प्रस्तावित है।

लोक–लेखा से समायोजन

वर्ष 2006–07 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 551.27 करोड़ लोक–खाता से समायोजित किए जायेंगे।

अंतिम शेष

वर्ष 2006–07 में प्रारम्भिक ऋणात्मक शेष रु0 110.42 करोड़ को हिसाब में लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष रु0 541.88 करोड़ होना अनुमानित है। इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मंत्रिमण्डल के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। मैं सी0आई0आई0 तथा नाबार्ड एवं अन्य संगठनों का भी आभारी हूँ जिन्होंने आय–व्ययक की संरचना हेतु उपयोगी सुझाव दिए हैं। वित्त

विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तरांचल एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

मुझे माननीय सदस्यों तथा उत्तराँचल की जनता में पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश के विकास में अनेक कठिनाईयों के बावजूद राज्य को नई बुलन्दियों तक ले जाएंगे कि:–

"मेरे साथ कदम मिला के चलो जानिबे मंजिल।

मेरा पैगाम तरक्की है, जहाँ तक पहुँचे।।"

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2006–07 का बजट तथा एक माह के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूँ।

चैत्र 06, शक संवत् 1928
तद्नुसार
27 मार्च, 2006